छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ–1–119 / 2015 / सात–4 नया रायपुर, दिनांक

राजस्व निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ–1–119 / 2015 / सात–4, नया रायपुर दिनांक 26.10.2016 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ भू–अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम के प्रावधान के अनुसार 90 राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

2. परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है : –

1.	परीक्षा की तिथि	–	22 जनवरी 2017, रविवार
2.	परीक्षा का समय	–	पूर्वान्ह 10:00 से 1:15 बजे तक
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	–	29.11.2016 (मंगलवार)
	ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि	–	14.12.2016 (बुधवार), रात्रि 11:59 तक
	ऑनलाइन आवेदन कर ऑफलाइन पेमेंट हेतु SBI Bank के चालान प्राप्त करने की अंतिम तिथि	–	16.12.2016(शुक्रवार), सायं 5:00 बजे तक
	ऑफलाइन (SBI Bank) से प्राप्त चालान द्वारा भुगतान की अंतिम तिथि	–	17.12.2016(शनिवार) बैंक कार्यालयीन समय तक
4.	परीक्षा जिला :	–	**प्रदेश के 16 जिलों में :–** सरगुजा (अम्बिकापुर), कोरिया(बैकुण्ठपुर), बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर), जांजगीर–चांपा, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव
5.	**परीक्षा शुल्क**	–	**परीक्षा शुल्क निम्नानुसार देय होगी :–**

सामान्य वर्ग	: रू. 350 / –
अन्य पिछड़ा वर्ग	: रू. 250 / –
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	: रू. 200 / –

3. पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र	पद का नाम	वेतन + ग्रेड पे	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अन्य पि. वर्ग	अ. जा.	अ. ज. जा.	शैक्षणिक योग्यता
1	राजस्व निरीक्षक	5200–20200+ 2800	90	38	12	11	29	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या (2) (10+2) पद्धति के तहत उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

आरक्षण तालिका –

क्र	वर्ग	मुक्त	महिला	निःशक्त जन	भू.पू. सैनिक	कुल
1	अनारक्षित	22	11	01	04	38
2	अ.पि.वर्ग	06	04	01	01	12
3	अनु.जा.	06	03	01	01	11
4	अ.ज.जा.	16	09	01	03	29
कुल		50	27	04	09	90

यह नियुक्तियॉ मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के रिट पिटि. क्र. (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में मान. न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी ।

टीप :– 1. छत्तीसगढ़ भू–अभिलेख तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित एवं कार्यपालिक तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2014 के बिन्दु क्रमांक 9(3) के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसी कि विहित की जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी भी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये ।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 27.09.2014 एवं समाज कल्याण विभाग के परिपत्र दिनांक 25.09.2014 के अनुसार राजस्व निरीक्षक पद के लिये केवल एक बाजू से बाधित या श्रवण बाधित निःशक्तता श्रेणी के अंतर्गत आने वाली निःशक्तता को ही मान्य किया गया है । इससे भिन्न श्रेणी के निःशक्त जन किसी भी वर्ग में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

2. **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियो के लिए उच्चतर आयु सीमा समय–समय पर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना अनुसार शिथिलनीय होगी।व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करनें तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।**

त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र एवं ओ.एम.आर. उत्तरशीट की प्रविष्टियों में अंतर पाये जाने पर उत्तरशीट की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा । परीक्षा के दिन उत्तरशीट में (Answer Sheet) में श्रेणी (Category), वर्ग (Class), जन्म् तिथि (Date Of Birth) आदि में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किये जायेगें । परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें ।

<u>नियम व शर्तेः–</u>

1. उपरोक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा सृजित पदों के आधार पर है। रिक्त पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है, पदों की संख्या कम/अधिक करने के लिए राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
2. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
3. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 150 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी ।
4. उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य होगा। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्मतिथि, श्रेणी, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन संभव नहीं होगा।
6. आयु सीमा दिनांक 01.01.2016 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी, किन्तु किसी भी उम्मीदवार को किसी भी आधार या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, एवं कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक संतान है,जिनमें से किन्हीं एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा द्वितीय संतति 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात पैदा हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

8. छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबन्ध) नियम 1997 के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखें जायेंगे।

9. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य शासन का होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना तत्समय रिक्त पदों के आधार पर की जावेगी पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

10. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हीरेफिकेशन करने एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा।

12. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्षो की परिवीक्षावधि पर की जावेगी ।

13. पद की वर्गवार रिक्तियों की संख्या माननीय उच्च न्यायालय के आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुपालन में परिवर्तनीय होगी।

14. पद के समक्ष पुनरीक्षित वेतनमान दर्शाया गया है तथा निर्धारित वेतनमान में शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होगे।

15. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी।

16. लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए पृथक से कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जायेगा ।

17. भूतपूर्व सैनिक सहित अन्य वर्गों को शासकीय सेवा में दिये जाने वाला आरक्षण/अन्य लाभ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार राजस्व निरीक्षक पद के संबंध में छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकि) सेवा भर्ती नियम 2014 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए दी जावेगी ।

18. शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकि) सेवा भर्ती नियम 2014 में राजस्व निरीक्षकों के सीधी भर्ती हेतु उल्लिखित शर्तों की पूर्ति किये जाने पर ही नियुक्ति की पात्रता होगी ।

पाठ्यक्रम :- पाठ्यक्रम एवं अन्य विवरण व्यापम की वेबसाइट **cgvyapam.choice.gov.in** पर उपलब्ध होगा।

परीक्षा पद्धति :- इस परीक्षा में सम्बंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

मूल्यांकन पद्धति :-

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे । उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (-) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जायेगें उनके लिये शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जाएंगे।

सचिव
छत्तीसगढ़, शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर